Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में जोधपुर डिस्कॉम का सहायक अभियन्ता 10 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *30 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये प्रतापाराम सहायक अभियन्ता, सिवाना, जोधपुर डिस्कॉम को परिवादी से 10 हजार 500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि मुख्यालय की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी कि नया ट्रांसफार्मर लगाने की एवज में प्रतापाराम सहायक अभियन्ता, सिवाना, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 10 हजार 500 रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बाड़मेर ईकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास सुण्डा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रतापाराम पुत्र श्री दौलाराम विश्नाई निवासी लूणवा चारणान, तहसील गुड़ामलानी, जिला बाड़मेर हाल सहायक अभियन्ता, सिवाना, जोधपुर डिस्कॉम को परिवादी से 10 हजार 500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।